

2018/00306

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

शमी देवी भाइवावडा

बनाम हरकाल

किस्म मुकदमा दुरुस्ती

मुकदमा नं. 133  
8/6/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/30) दिनांक 8/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत फौजपुर में प्रार्थीगण के नाम चक 79RBA की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 के खाता नं. 15 में खातेदार 79RBB शमी देवी व/० मधवीर के अकित है। जिसका नाम शमी देवी है। जिसकी शमी देवी व/० मधवीर के नाम पर दुरुस्ती की जाने की अभिशांषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 8/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 79RBA व 79RBB के खाता नं. 15-187 में दर्ज खातेदार शमी देवी व/० मधवीर के नाम पर दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उपजिला लोक अदालत  
 न्यायसिंहनगर-2018  
 कैम्प कोर्ट  
 उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर